

प्रेषक,

पी०के०वासो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून दिनांक: 01 अप्रैल, 2015

विषय: जनपद उत्तरकाशी (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नाकुरी सिंगोट मोटर मार्ग से पाद मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.092. हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2807/FP/UK/ROAD/9574/2015 दिनांक 04 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद उत्तरकाशी (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नाकुरी सिंगोट मोटर से पाद मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.092. हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संसदादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोज्य अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.184. हे० रिजर्वेल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोज्य अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण मा० उच्चतम न्यायालय के रिट फिटिसन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सनी निधियों प्रतिपूर्ति, वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-26200, कांफ्लिक्ट बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपलब्ध आख्या जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के रिपोर्टों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंजोपजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।

भवदीय

(पी०के०पात्री)

अपर सचिव।

संख्या: २०० (1)/X-4-15/1(114)/2015, तद्विनांकित 1/2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आर०आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. रजिस्ट्रार, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शारान।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनीकीरेती।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. प्रभागीय वनधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
6. अभियांत्रिकी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०आई० सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रघुम सिंघ)

उप सचिव।